वी.के. वसंथा कुमारी

बनाम

आर. सुधाकर

(2014 की दीवानी अपील संख्याएँ 8459-8462)

4 सितंबर, 2014

[जे. चेलमेश्वर एवं ए.के. सिकरी, न्यायमूर्तिगण]

पारिवारिक कानून:

स्थायी भरण-पोषण - विवाह-विच्छेद - उच्च न्यायालय का यह निर्धारण कि पत्नी को 40,000/- रुपये प्रति माह मिलने चाहिए और इस उद्देश्य के लिए पति द्वारा उसे स्थायी भरण-पोषण के रूप में 40,00,000/- रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया गया - पत्नी का तर्क कि सावधि जमा पर ब्याज की दरों में उतार-चढ़ाव के कारण, 40,00,000/- रुपये से लगातार 40,00,00/- रुपये प्रति माह ब्याज प्राप्त नहीं होगा - अभिनिर्धारित: अपीलकर्ता-पत्नी के स्थायी भरण-पोषण के प्रश्न का निर्धारण करते समय उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि उसे प्रति माह 40,000/- रुपये की आवश्यकता है, अंतिम हो गया है - मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता द्वारा की गई मांग न्यायसंगत है - इसलिए, उत्तरदाता को अपीलकर्ता पत्नी को स्थायी भरण-पोषण के मद में अन्य 15,00,000/- रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

पक्षकारों का विवाह, विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा भंग कर दिया गया था। जहाँ तक स्थायी भरण-पोषण का प्रश्न है, मामला उच्च न्यायालय पहुँचा, जिसने अपीलकर्ता-पत्नी और उसके तीन वयस्क बच्चों की आवश्यकता पर विचार करते हुए यह निर्धारित किया कि उसे खर्च के रूप में प्रति माह 40,000/- रुपये की आवश्यकता होगी और इस उद्देश्य के लिए उसे निवेश हेतु 40,00,000/- रुपये की आवश्यकता होगी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता पति को

अपीलकर्ता पत्नी को स्थायी भरण-पोषण के रूप में 40,00,000/- रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया, जबकि परिवार न्यायालय द्वारा 24,00,000/- रुपये का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को चुनौती देने वाली उत्तरदाता पति की एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) खारिज कर दी गई थी।

वर्तमान अपीलों में, अपीलकर्ता-पत्नी की ओर से यह तर्क दिया गया कि ब्याज की दरों में उतार-चढ़ाव के कारण, 40,00,000/- रुपये की सावधि जमा से प्रति माह 40,000/- रुपये की आय निरंतर प्राप्त नहीं होगी और इसलिए, स्थायी भरण-पोषण की राशि में तदनुसार वृद्धि करने की आवश्यकता होगी।

अपीलों का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1.1. उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध एसएलपी को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है कि अपीलकर्ता-पत्नी को खर्चों को पूरा करने के लिए 40,000/- रुपये की आवश्यकता होगी और इस उद्देश्य के लिए, उत्तरदाता पति स्थायी भरण-पोषण के रूप में 40,00,000/- रुपये का भुगतान करेगा। इसलिए, अपीलकर्ता के स्थायी भरण-पोषण के प्रश्न का निर्धारण करते समय उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता को प्रति माह 40,000/- रुपये की राशि की आवश्यकता है, अंतिम हो गया है। [कंडिका 11] [550-ए-सी]

1.2. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता द्वारा की गई मांग न्यायसंगत है। इसलिए, उत्तरदाता को अपीलकर्ता पत्नी को स्थायी भरण-पोषण के मद में अन्य 15,00,000/- रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। [कंडिका 13] [550-डी-ई]

दीवानी अपीलीय अधिकार क्षेत्र: 2014 की दीवानी अपील संख्याएँ 8459-8462।

मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सी.एम.ए. संख्या 543 एवं 933/2010 तथा सी.एम.ए. संख्या 543 एवं 933/2010 में एम.पी. संख्या 1/2010 और सी.एम.ए. संख्या 543/2010 में एम.पी. संख्या 1/2011 में दिनांक 20.10.2011 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

वी.के. वसंथा कुमारी, अपीलकर्ता-व्यक्तिगत रूप से।

उत्तरदाता के लिए ई.जी. अग्रवाल, धीरज गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय **चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपील, अपीलकर्ता पत्नी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के 2010 के सी.एम.ए. संख्या 543 और 933 तथा उपरोक्त सी.एम.ए. में एम.पी. संख्या 1/2010 और एम.पी. संख्या 1/2011 के आदेश से संतुष्ट न होने के कारण दायर की गई है।

3. अपीलकर्ता और उत्तरदाता पत्नी और पति थे। उनका विवाह 1986 में हुआ था। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जहाँ अपीलकर्ता और उत्तरदाता के बीच संबंध संकट में पड़ गए। उक्त वैवाहिक गठबंधन से तीन वयस्क बच्चे हैं।

4. वर्ष 2004 में, उत्तरदाता पति ने मद्रास स्थित द्वितीय अतिरिक्त परिवार न्यायालय के समक्ष क्रूरता के आधार पर अपीलकर्ता से विवाह-विच्छेद की मांग करते हुए एफ.सी.ओ.पी. संख्या 571/2004 दायर की। उक्त एफ.सी.ओ.पी. को 3.11.2009 को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन दोनों पक्ष अपील संख्या 544/2010 और 932/2010 लेकर आगे बढ़े। दोनों अपीलों का निस्तारण 25.1.2011 के एक साझा आदेश द्वारा किया गया। अपीलीय डिक्री, जहाँ तक हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:

"2. कि कंडिका (1) के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय और डिक्री अर्थात् क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा भंग विवाह को इसके द्वारा अपास्त किया जाता है और

याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज 'अनापत्ति' पृष्ठांकन के आधार पर विवाह को भंग किया जाता है।"

5. पक्षकारों के बच्चों ने वाद-सूची में वर्णित संपत्ति के विभाजन के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 677/2004 दायर किया।

6. आक्षेपित आदेश से यह परिलक्षित होता है कि उपर्युक्त विभाजन वाद में कुल तेरह मदें सम्मिलित हैं। उत्तरदाता के अनुसार, इनमें से कुछ मदें पहले ही विक्रय की जा चुकी हैं। निर्विवाद रूप से, स्वयं उत्तरदाता के कथनानुसार भी परिवार पाँच वाहनों का रख-रखाव करता रहा है।

7. विभाजन का वाद एक दशक के बाद भी अभी लंबित है। ऊपर वर्णित दो कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, विभिन्न पक्षों द्वारा अनगिनत अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए गए। सभी कार्यवाहियों का वर्णन करना आवश्यक और लाभप्रद नहीं हो सकता है।

8. अपीलकर्ता ने पति द्वारा दायर विवाह-विच्छेद की मूल याचिका में अंतरिम भरण-पोषण की मंजूरी के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अन्तर्गत एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया। उक्त अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 3475/2004 को परिवार न्यायालय द्वारा 3.2.2007 को खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध, अपीलकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक दीवानी पुनरीक्षण सी.आर.पी. (पी.डी.) संख्या 1168/2007 दायर की, जिसका निस्तारण 15.10.2008 के आदेश द्वारा किया गया। आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

"5. परिणामतः, इस दीवानी पुनरीक्षण याचिका का निस्तारण द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, चेन्नई को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वह विवाह-विच्छेद याचिका का निस्तारण स्थायी भरण-पोषण के आवेदन, जो यहाँ की याचिकाकर्ता/पत्नी द्वारा दायर किया जाएगा, और भरण-पोषण के बकाये के विवरण जो उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, के आधार पर

इस न्यायालय की माननीय प्रथम खंडपीठ द्वारा 14.07.06 को ओ.एस.ए. संख्या 179/2008 का निस्तारण करते समय निर्धारित अवधि के भीतर करें।"

9. उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने ऊपर संदर्भित मूल याचिका संख्या 571/2004 में 1 लाख रुपये प्रति माह के स्थायी भरण-पोषण की मांग करते हुए एक अन्य अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 409/2009 दायर किया। उक्त अंतर्वर्ती आवेदन का निस्तारण द्वितीय अतिरिक्त परिवार न्यायालय, चेन्नई द्वारा 3.11.2009 को एक आदेश द्वारा किया गया, जिसमें स्थायी भरण-पोषण के रूप में 24 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

10. उक्त आदेश से व्यथित होकर, उत्तरदाता पति मामले को अपील (सी.एम.ए. संख्या 543/2010 द्वारा) में उच्च न्यायालय ले गया। स्वीकृत राशि से संतुष्ट न होकर, अपीलकर्ता पत्नी भी मामले को अपील (सी.एम.ए. संख्या 933/2010 द्वारा) में उच्च न्यायालय ले गई। इन दोनों मामलों का निस्तारण आक्षेपित आदेश द्वारा किया गया। आक्षेपित आदेश का प्रभावी हिस्सा इस प्रकार है:

"36. चूंकि अपीलकर्ता के तीन बच्चे हैं, मौजूदा परिसर को खाली करने की स्थिति में, यदि वह एक अच्छे इलाके में कम से कम तीन बेडरूम वाला फ्लैट पट्टे पर लेती है, तो उसे अन्य खर्चों के अलावा कम से कम 25,000/- रुपये प्रति माह खर्च करने होंगे। लेकिन अपीलकर्ता उत्तरदाता के घर में रह रही है। चूंकि, अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि उसकी पहली बेटी कार्यरत है, वह भी कमा रही होगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलकर्ता के पास इंजमबक्कम और सी शोर शहर में लगभग 2 करोड़ रुपये की दो संपत्तियां हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता को खर्चों को पूरा करने के लिए कम से कम 40,000/- रुपये प्रति माह की आवश्यकता हो सकती है। प्रति माह 40,000/- रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करने के लिए उसे 40,00,000/- रुपये निवेश करने पड़ सकते हैं। परिवार न्यायालय ने स्थायी भरण-पोषण के

रूप में 24,00,000/- रुपये की राशि प्रदान की थी। जीवन यापन की वर्तमान लागत को देखते हुए, हमारा विचार है कि द्वितीय अतिरिक्त परिवार न्यायालय, चेन्नई द्वारा प्रदान किया गया स्थायी भरण-पोषण कम है और इसे बढ़ाकर 40,00,000/- रुपये किया जाना चाहिए। तदनुसार, परिवार न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए स्थायी भरण-पोषण को बढ़ाकर 40,00,000/- रुपये किया जाता है।

37. इसलिए, द्वितीय अतिरिक्त परिवार न्यायालय, चेन्नई के अभिलेख पर एच.एम.ओ.पी. संख्या 571/2004 में आई.ए. संख्या 409/2009 में पारित परिवार न्यायालय के उचित और अंतिम आदेश को अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता को स्थायी भरण-पोषण के रूप में 40,00,000/- रुपये (केवल चालीस लाख रुपये) प्रदान करके संशोधित किया जाता है।

38. परिणामतः, सी.एम.ए. संख्या 933/2010 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और सी.एम.ए. संख्या 543/2010 को खारिज किया जाता है। सी.एम.ए. संख्या 543/2010 में एम.पी. (एमडी) संख्या 1/2011 को खारिज किया जाता है और एम.पी. (एमडी) संख्या 1/2010 को बंद किया जाता है। कोई शुल्क नहीं।"

11. उक्त आदेश से व्यथित होकर उत्तरदाता ने मामले को एस.एल.पी. संख्या 2506-2507/2012 में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे इस न्यायालय के 30.01.2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, उत्तरदाता ने 40 लाख रुपये की राशि जमा की और इसे इस न्यायालय द्वारा 26.11.2013 के आदेश के माध्यम से दर्ज किया गया है। इसलिए, अपीलकर्ता के स्थायी भरण-पोषण के प्रश्न का निर्धारण करते समय उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता को प्रति माह 40,000/- रुपये की राशि की आवश्यकता है, अंतिम हो गया है। वर्तमान अपील में मुद्दा सीमित है। अपीलकर्ता ने प्रार्थना की है कि सावधि जमा पर ब्याज की दरों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, 40 लाख रुपये की राशि से लगातार 40,000/- रुपये प्रति माह का ब्याज प्राप्त नहीं होगा, अतः यह सुनिश्चित करने के लिए एक उचित आदेश

पारित किया जाए कि उसे उसके भरण-पोषण के मद में 40,000/- रुपये की मासिक राशि प्राप्त हो।

12. हमने उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम अपीलकर्ता द्वारा की गई मांग में औचित्य पाते हैं। इसलिए, हम उत्तरदाता को आज से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपीलकर्ता पत्नी को स्थायी भरण-पोषण के मद में अन्य 15,00,000/- (पंद्रह लाख रुपये) का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।

14. तदनुसार, अपीलों का निस्तारण किया जाता है, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

निर्णय

आदेश सुनाए जाने के बाद, उत्तरदाता पति की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री अंकुर सहगल द्वारा प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाता को आज दिए गए निर्देश का पालन करने के लिए दो महीने की अवधि दी जाए। इसलिए, हम पति को निर्णय में दिए गए निर्देश के अनुसार 30 दिनों के बजाय आज से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर भुगतान करने का निर्देश देते हैं।

राजेंद्र प्रसाद अपील का निस्तारण किया गया।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।